संख्या– 13 /2017/836/36–03–2017–1820/12

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

श्रम आयुक्त,
उ0प्र0 कानपुर।

श्रम अनुभाग–3 लखनऊः: दिनांकः: 28 जुलाई, 2017

विषयः– श्रम आयुक्त संगठन के अंतर्गत नवीन निरीक्षण प्रणाली व स्वप्रमाणन व्यवस्था के संबंध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–1820/36–03–2012 दिनांक 30.10.2012 द्वारा अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति–2012 के कियान्वयन हेतु कारखानों, दुकानों एवं वाणिज्यिक अधिष्ठानों में श्रम कानूनों के प्रवर्तन हेतु स्वप्रमाणन व्यवस्था लागू की गयी थी।

2– उक्त शासनादेश को अवक्रमित करते हुए वैश्विक स्तर पर औद्योगिक प्रतिस्पर्धा के दृष्टिगत उद्योगों को निर्बाध गति से संचालित किए जाने हेतु यह आवश्यक है कि निरीक्षण प्रक्रिया को नियंत्रित करते हुए पारदर्शी बनाया जाय। श्रम आयुक्त संगठन द्वारा मुख्यतः 18 केन्द्रीय श्रम अधिनियम व 04 राज्य श्रम अधिनियम के प्रवर्तन व उनके अन्तर्गत प्रवर्तन का कार्य देखा जाता है। श्रमिकों के हित संवर्धन तथा श्रमिक व सेवायोजक के मध्य मधुर औद्योगिक संबंधों को स्थापित करने एवं श्रमिकों के व्यापक हित में श्रम अधिनियमों का प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित किये जाने हेतु निरीक्षण एवं स्वप्रमाणन की व्यवस्था लागू किए जाने के संबंध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरांत निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है।

1. <u>स्व–प्रमाणन की व्यवस्था।</u>

ऐसे पंजीकृत कारखाने, जो खतरनाक या अति खतरनाक प्रतिष्ठान की श्रेणी में आवर्त नहीं है, तथा दुकान व वाणिज्य अधिष्ठान में स्व–प्रमाणन प्रक्रिया के तहत आवेदन करने एवम् श्रम कानूनों के पालन का आश्वासन दिए जाने की स्थिति में 05 वर्ष की अवधि में

केवल एक बार संयुक्त निरीक्षण रैण्डम आधार (स्व प्रमाणन के अन्तर्गत आवर्त प्रतिष्ठानों की संख्या का 20 प्रतिशत) पर किया जाएगा अर्थात एक बार निरीक्षण किए जाने के उपरांत उस प्रतिष्ठान में 05 वर्ष की अवधि में कोई निरीक्षण नहीं किया जाएगा। स्वप्रमाणन योजना के अन्तर्गत आवर्त प्रतिष्ठान के निरीक्षण के 03 दिन पूर्व निरीक्षण की सूचना अनिवार्य रूप से नियोजक को दी जाएगी। स्वप्रमाणन व्यवस्था की प्रक्रिया एवं प्रारूप संलग्न है।

2. **अपंजीकृत प्रतिष्ठान का शत प्रतिशत निरीक्षण।**
ऐसे प्रतिष्ठान जो दुकान एवम् वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम–1962 या कारखाना अधिनियम–1948 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हैं, उनका श्रम आयुक्त, उ0प्र0 अथवा मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी की अनुमति से शत–प्रतिशत निरीक्षण किया जा सकेगा। उक्त निरीक्षण आकस्मिक रूप से बिना सूचना दिये किया जायेगा।

3. **पंजीकृत प्रतिष्ठान का वार्षिक निरीक्षण।**
ऐसे पंजीकृत प्रतिष्ठान जो स्व–प्रमाणन का चुनाव नहीं करते हैं, उनका श्रम आयुक्त, उ0प्र0 अथवा मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी की अनुमति से आवश्यकतानुसार वार्षिक निरीक्षण किया जा सकेगा, शर्त यह है कि यह निरीक्षण सामान्यतया वर्ष में एक बार से अधिक नहीं किया जायेगा।

4. **खतरनाक प्रकियाओं में आवश्यकतानुसार वर्ष में एक बार निरीक्षण किया जाना।**
खतरनाक प्रतिष्ठान, जिनमें मानव जीवन का जोखिम विद्यमान है, में आवश्यकतानुसार निरीक्षण संपादित किया जाएगा। इसी प्रकार स्टोरेज व हैण्डलिंग ऑफ केमिकल्स वाली ईकाइयों का आवश्यकतानुसार निरीक्षण किया जाएगा, शर्त यह है कि यह निरीक्षण सामान्य तौर पर वर्ष में एक बार से अधिक नहीं होगा। माह में किये जाने वाले निरीक्षणों का पूर्वानुमोदन श्रमायुक्त कार्यालय से लिया जाएगा।

5. **शिकायतों के आधार पर निरीक्षण**
किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान के श्रमिकों के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त/श्रम आयुक्त की अनुमति से कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है।

6. **प्रतिष्ठानों में दुर्घटना होने पर निरीक्षण**
किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान में संघातक अथवा गम्भीर प्रकति की दुर्घटना होने पर प्रतिष्ठान का निरीक्षण विभाग के सहायक श्रमायुक्त

एवं सहायक निदेशक कारखाना से अन्यून स्तर के अधिकारी की अनुमति से किया जा सकेगा।

7. <u>स्टार्ट–अप नीति के तहत स्थापित की जाने वाली ईकाइयों को 03 वर्ष तक निरीक्षण से छूट।</u>

स्टार्ट–अप नीति के तहत स्थापित होने वाले प्रतिष्ठानों को इकाई स्थापित होने के दिनांक से 03 वर्ष तक स्व–प्रमाणन के अन्तर्गत आवेदन किये जाने के आधार पर श्रम अधिनियमों के अंतर्गत निरीक्षण से छूट होगी परन्तु कमांक 6 की स्थिति में उक्त छूट मान्य नहीं होगी।

8. अन्य सभी औद्योगिक इकाइयों व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को <u>रैण्डम रिस्क बेस्ड निरीक्षण</u> हेतु कार्मिकों की संख्या के आधार पर इस प्रकार वर्गीकृत किया जायेगा।

(i) कैटेगरी (ए) 01 से 50 कार्मिक
(ii) कैटेगरी (बी) 51 से 100 कार्मिक
(iii) कैटेगरी (सी) 101 से 300 कार्मिक
(iv) कैटेगरी (डी) 301 से अधिक कार्मिक

9. <u>कम जोखिम एवं उच्च जोखिम वाले अधिष्ठान</u>

(a)–<u>कम जोखिम</u>

ऐसे अधिष्ठान जो कैटेगरी (ए) व (बी) में आते हों तथा श्रम अधिनियमों का अनुपालन करते हों व कुछ का अनुपालन/आंशिक रुप से करते हों,

(i) ऐसे अधिष्ठान जहॉ विगत वर्षों में श्रमिक अशान्ति यथा–हड़ताल/ तालाबन्दी न हुई हों,
(ii) ऐसे अधिष्ठान जहॉ विगत वर्षों में कोई संघातक दुर्घटना न हुई हों,
(iii) ऐसे अधिष्ठान जहॉ कुल कार्मिकों के 50 प्रतिशत से कम संविदा कर्मकार नियोजित हों,
(iv) ऐसे अधिष्ठान जहॉ विगत 03 वर्षों में कोई निरीक्षण नहीं हुआ हो।

(b)–<u>उच्च जोखिम</u>

ऐसे अधिष्ठान जो कैटेगरी (ए) व (बी) में आते हों तथा जो निर्धारित प्रक्रिया अपनाये बिना कार्मिकों की छटनी व सेवा समाप्ति कर देते हों,

(i) ऐसे अधिष्ठान जहॉ अक्सर श्रमिक अशान्ति यथा हड़ताल/तालाबन्दी होती हो,

(ii) ऐसे अधिष्ठान जो कारखाना अधिनियम में अति–खतरनाक श्रेणी में आते हों,

(iii) ऐसे अधिष्ठान जहॉ विगत समय में दुर्घटना(Accident) कारित हुई हो,

(iv) ऐसे अधिष्ठान जहॉ विगत समय में बाल श्रमिक नियोजित पाये गये हों।

10. निम्न दशाओं में निरीक्षण अनिवार्य रूप से वर्ष में 01 बार किये जायः–

(I) प्रतिष्ठान जहॉ पिछले 02 वर्ष में कोई गम्भीर दुर्घटना घटित हुई हो।

(II) प्रतिष्ठान जहॉ हड़ताल, तालाबंदी अथवा छटनी की गयी हो।

(III) अति खतरनाक कारखाने।

(IV) ऐसे बंद प्रतिष्ठान, जहॉ श्रमिकों के देय अवशेष हों।

11. सामान्य अनुदेश

(I) जारी निरीक्षण टिप्पणी को 48 घण्टे के अंदर वेबसाइट पर अपलोड किया जाना।

निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान के निरीक्षण के पश्चात विभागीय वेबसाइट पर 48 घण्टे के अंदर निरीक्षण टिप्पणी अपलोड करनी होगी। ऐसा न किए जाने पर निरीक्षणकर्ता अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय स्तर पर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निरीक्षण टिप्पणी को हस्ताक्षरित एवम् मुद्रान्कित किया जाना होगा तथा इसका रिकार्ड इस आशय से कार्यालय में संरक्षित किया जाएगा कि वह किस निरीक्षणकर्ता अधिकारी को किस दिनांक में जारी की गयी है।

(II) समस्त निरीक्षण, निरीक्षण कर्ताओं की संयुक्त टीम द्वारा किए जाने की व्यवस्था।

समस्त निरीक्षण, संयुक्त टीम द्वारा जिसमें कम से कम 02 निरीक्षणकर्ता अधिकारी अवश्य शामिल होंगे, किया जाएगा, जिसमें उपलब्धता के आधार पर सहायक श्रमायुक्त, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, सहायक निदेशक, कारखाना सम्मिलित होंगे।

(III) अधिष्ठानों के निरीक्षण में रैण्डम रिस्क बेस्ड प्रक्रिया अपनाने से सम्बन्धित निरीक्षक को उसी अधिष्ठान का दुबारा निरीक्षण करने से रोका जा सकेगा क्योंकि समस्त निरीक्षण संयुक्त निरीक्षण प्रणाली पर आधारित होगा।

(Iv) निरीक्षित इकाईयों के निरीक्षणोपरान्त अनुपालन आख्या अधिकतम् 15 दिवस में प्राप्त होनी चाहिए। प्राप्त न होने की दशा में सम्बन्धित उच्चाधिकारियों से अधिकार पत्र प्राप्त कर विधिक कार्यवाही अपनायी जायेगी। किसी भी दशा में किए गए निरीक्षण के विरूद्ध अनुपालन आख्या प्राप्त न होने के फलस्वरूप अग्रेतर कार्यवाही व अभियोग कालातीत (Time barred) नहीं होनी चाहिए।

(v) भारतीय बायलर विनियम, 1950 के तकनीकी उपबन्धों के अनुसार प्रतिवर्ष बायलर व बायलर संघटकों का निरीक्षण, बायलर स्वामी द्वारा ऐसे तृतीय पक्षकार निरीक्षण अभिकरण के माध्यम से कराया जायेगा, जो केन्द्रीय बायलर बोर्ड भारत सरकार, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली द्वारा प्राधिकृत हो। स्वप्रमाणीकरण/तृतीय पक्षकार निरीक्षण प्रणाली का उद्देश्य भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 के अधीन कर्मकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण से समझौता किए बिना कारोबार की सुगमता में वृद्धि करना है। स्वप्रमाणीकरण/तृतीय पक्षकार निरीक्षण प्रणाली के सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या–11/2017/545/36–3–2017–29(सा0)/14टी0 सी0, दिनांक 16 जून, 2017 जारी की जा चुकी है।

12 स्वप्रमाणन व्यवस्था

(I) उद्यमियों द्वारा स्वप्रमाणन व्यवस्था में सम्मिलित होने का आवेदन/विकल्प निर्धारित प्रारूप पर घोषणा पत्र सहित प्रस्तुत किया जायेगा तथा ऐसे उद्यमियों को उनके द्वारा दिए जाने वाले घोषणा पत्र को सत्य मानते हुए उन्हें निरीक्षण से छूट प्रदान की जाएगी। स्वप्रमाणन व्यवस्था के तहत आवेदन करने पर प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या के 20 प्रतिशत प्रतिष्ठानों का रैण्डम रिस्क बेस्ड आधार पर 05 वर्ष में एक बार निरीक्षण किया जाएगा। ऐसे सभी उद्यमियों/नियोजकों को निरीक्षण के पूर्व निरीक्षण किए जाने के समय/तिथि से अवगत कराया जाएगा।

(II) निरीक्षण के दौरान कोई कमियां पाये जाने पर अभियोजन की कार्यवाही न करते हुए नियोजक को सुधारात्मक कार्यवाही करने हेतु

समयसीमा दी जाएगी और नियोजक से यह अपेक्षित होगा कि वह चिन्हित की गयी कमियों को दी गयी समयसीमा में आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही करते हुए पूर्ण करे। निरीक्षण में पायी गयी कमियों के निवारण हेतु नियोजक 15 दिन की अवधि दी जाएगी जिसके पूर्ण होने पर तथा कमियों के निवारण की सूचना से न अवगत कराए जाने की स्थिति में पुनः 15 दिन की अवधि कमियों के निराकरण हेतु नियोजक को दी जाएगी। इस प्रकार दो बार अवसर दिए जाने के बाद भी यदि नियोजक द्वारा उन कमियों का निवारण नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी तथा उसे स्वप्रमाणन व्यवस्था के लाभ से भविष्य में वंचित कर दिया जायेगा।

(III) यदि 05 वर्ष की अवधि के भीतर श्रम कानूनों के उल्लंघन के बाबत कोई शिकायत प्राप्त होती है या संज्ञान में लायी जाती है तो श्रमायुक्त/जिलाधिकारी की अनुमति से अतिरिक्त निरीक्षण किया जा सकेगा। ऐसे निरीक्षण की सूचना सम्बन्धित इकाई को दिए जाने के सम्बन्ध में श्रमायुक्त/जिलाधिकारी द्वारा ही निर्णय लिया जाएगा।

(Iv) स्वप्रमाणन व्यवस्था के अन्तर्गत आवेदन करने वाले उद्यमियों को सभी अधिनियमों के अन्तर्गत निरीक्षण हो जाने के उपरान्त अनावश्यक निरीक्षणों से मुक्ति प्राप्त होगी तथा निरीक्षण का उद्देश्य दण्डात्मक न होकर उद्यमी को मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान किया जाना होगा।

(v) यह योजना वैकल्पिक होगी अर्थात कोई भी दुकान/वाणिज्य स्थापन्न या कारखाना के नियोजक योजना के अन्तर्गत शामिल होने हेतु स्वतंत्र होंगे किन्तु अपंजीकृत प्रतिष्ठान, खतरनाक व अतिखतरनाक उद्योग इस योजना से आवर्त नहीं होंगे।

(vi) योजना में सम्मिलित होने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है अर्थात कोई भी नियोजक इस योजना में सम्मिलित होने हेतु संलग्न प्रारूप 1 व 2 में आवेदन कभी भी सीधे सम्बन्धित क्षेत्रीय/जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत करेगा अथवा वह ऐसा आवेदन श्रम विभाग के पोर्टल **(uplabour.gov.in)** पर भी कर सकेगा।

(vii) आवेदन पत्र प्राप्त होने के 60 दिन की अवधि के भीतर आवेदन का परीक्षण कर नियोजक/उद्यमी को आवेदन में पायी गयी कमियों अथवा आवेदन स्वीकार करने की स्थिति से सूचित किया

जाएगा। यदि 02 माह की अवधि के भीतर आवेदक को उसके आवेदन की कमियों के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी गयी है तो उसका आवेदन स्वीकार समझा जाएगा लेकिन यदि आवेदन में कोई कमी सूचित की जाती है तो नियोजक द्वारा कमी के निराकरण के पश्चात उसे आवेदन स्वीकृत किए जाने की अलग से सूचना दी जाएगी।

(viii) नियोजक के उक्त योजना में शामिल होने स्थिति में उसे प्रारूप–3 पर वर्तमान वर्ष की शेष अवधि तथा 31 जनवरी तक अगले कैलेण्डर वर्ष के लिए विवरणी की प्रविष्टियां पूर्ण कर प्रेषित किया जाना होगा। नियोजक के लिए विवरणी ऑनलाईन दाखिल किए जाने का भी विकल्प होगा। यदि निर्धारित समय सीमा के अन्दर विवरणी प्राप्त नहीं होती है तो उक्त अवधि को विस्तारित करते हुए 15 दिन की अवधि विवरणी प्रेषित किए जाने हेतु अनुमति दी जाएगी। 15 फरवरी तक विवरणी दाखिल न होने की दशा में प्रतिष्ठान को स्वप्रमाणन योजना से बाहर कर दिया जाएगा।

(ix) योजना में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र एवं घोषणा पत्र नियोजक स्थापन के निम्नलिखित पदाधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगाः–

(क) एकल नियोजक/प्रोप्रराइटरशिप स्थापन–फर्म के नियोजक/प्रोप्रराइटर द्वारा स्वयं।
(ख) पार्टनरशीप फर्म–फर्म का कोई भागीदार अथवा प्रबंधक।
(ग) कम्पनी की स्थिति में–कम्पनी द्वारा अधिकृत डायरेक्टर या प्रबंध संचालक।
(घ) कारखाने की स्थिति में–अधिभोगी या कारखाना प्रबंधक।

नवीन निरीक्षण प्रणाली व स्वप्रमाणन संबंधी व्यवस्था के प्रारूप संलग्न है। कृपया उक्त नई निरीक्षण प्रणाली से संबंधित समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते हुए इसका प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित करने एवं इसकी प्रगति से त्रैमास में एक बार अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–13 /2017/836 (1)/36–03–2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
2– प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी उ0प्र0 (द्वारा श्रमायुक्त, उ0प्र0)
4– निदेशक, उद्योग बंधु, 12–सी, माल एवेन्यू लखनऊ।
5– निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6– निदेशक कारखना/निदेशक ब्वायलर्स, उ0प्र0 कानपुर।
7– समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त, उ0प्र0 (द्वारा श्रमायुक्त, उ0प्र0)
8– समस्त उप/सहायक निदेशक कारखाना, उ0प्र0 (निदेशक कारखाना, उ0प्र0)
9– श्रम विभाग के समस्त अनुभाग।
10–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजीव शर्मा)
विशेष सचिव।

प्रारूप–1

कारखानों /वाणिज्य स्थापन हेतु घोषणा पत्र

1. स्थापना का विवरण :

(a) स्थापना का नाम :----------

(b) स्थापना का पता :----------

(c) स्थापना किस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है ?(संबधित विकल्प को टिक करें)

(i) उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962

(ii) कारखाना अधिनियम, 1948

(iii) मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961

(iv) अन्य (उल्लेख करें)

(d) नियोजक का नाम.....

(e) नियोजक का पता.....

(f) नियोजक का ई–मेल.....

(g) नियोजक का दूरभाष क्रमांक (कार्यालय).....(आवास).....

(h) मोबाईल नम्बर.....

(i) प्रबंधक अथवा स्थापना का नियंत्रण रखने वाले/पर्यवेक्षकीय उत्तरदायित्व रखने वाले व्यक्ति का नाम एवं पता :.....

.....

(j) व्यवसाय/कार्य/उत्पाद का संक्षिप्त विवरण:.....

2. लागू होने वाले अधिनियम के पंजीयन का विवरण:

(केवल लागू होने वाले अधिनियम की प्रविष्टि करें):

क्र0	अधिनियम का नाम (सम्बन्धित अधिनियम को करें)	पंजीयन/अनुज्ञप्ति क्रमांक	जारी करने/अंतिम नवीनीकरण का दिनांक
i	उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962/ कारखाना अधिनियम, 1948/मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961		
ii	संविदा श्रम अधिनियम, 1970 (यदि लागू हो)		
iii	अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979 (यदि लागू हो)		

3. वित्तीय वर्ष में स्थापना द्वारा सीधे नियोजित श्रमिकों का विवरण (संविदा श्रमिकों को छोड़कर):

(a) प्रतिदिन नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या :.....

(b) एक दिन में किये जाने वाले कार्य के औसत घंटे (अधिसमय कार्य सहित):.....

(c) वर्ष में मानव दिवसों की संख्या:

(i) पुरूष .....
(ii) महिला .....
(iii) कुमार .....
(iv) बालक .....
कुल .....

साप्ताहिक अवकाश का दिन (टिक करें):

(सोमवार / मंगलवार / बुधवार / गुरूवार / शुक्रवार / शनिवार / रविवार)

(d) पारियों का समय

प्रथम पारी : समय .....बजे से.....तक

द्वितीय पारी (यदि लागू हो): समय.....बजे से.....तक

तृतीय पारी (यदि लागू हो): समय.....बजे से.....तक

वित्तीय वर्ष में कुल कार्य दिवस :.....

ठेकेदार का विवरण (यदि हो तो):

	नियोजित संविदा श्रमिकों की संख्या		
कार्यरत ठेकेदारों की संख्या	पुरूष	महिला	योग

4. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965:

(i) वित्तीय वर्ष में बोनस से लाभांवित श्रमिकों की संख्या:

बोनस के रूप में भुगतान योग्य कुल राशि	समझौते का विवरण (यदि कोई हो)	घोषित बोनस का प्रतिशत	वास्तविक भुगतान किये गये बोनस की राशि	बोनस भुगतान का दिनांक	क्या सभी नियोजित श्रमिकों को बोनस का भुगतान किया गया है (हॉ / नहीं)	किसी नियोजित श्रमिक को भुगतान नहीं करने का कारण (यदि लागूहो)
1	2	3	4	5	6	7

5. वित्तीय वर्ष में सेवानिवृत्त / छंटनी किये गये / कार्यमुक्त आदि श्रमिकों का विवरण:

श्रमिकों की संख्या				
आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त	छंटनी किये गये	सेवामुक्त / पृथक्कीकरण / निष्कासित	सेवा समाप्ति पर भुगतान किये गये स्वत्व	भुगतान की गयी स्वत्व की राशि (प्रकार सहित)

6. वित्तीय वर्ष में कुल मानव दिवसों की हानि का विवरण (कारण सहित) :

क्र0	कारण	मानव दिवस की कुल हानि (संख्या)	राशि के रूप में क्षति (राशि)
(i)	हड़ताल		
(ii)	तालाबंदी		
(iii)	खतरनाक दुर्घटना		
(iv)	गैर खतरनाक किन्तु गंभीर दुर्घटना		
(v)	अन्य		
	कुल		

7. उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में श्रमिकों को प्रदत्त उपादान का विवरण:

क्र0	श्रमिक का नाम	नियोजन क्रमांक	सेवानिवृत्त/ छंटनी का दिनांक	सेवा की अवधि (वर्ष एवं दिवस)	अंतिम प्राप्त मासिक वेतन (रू0)
1	2	3	4	5	6

भुगतान की गयी उपादान की राशि (रू0)	भुगतान नहीं करने की स्थिति में उसका कारण
7	8

नियोजक/प्रबंधक के डिजीटल हस्ताक्षर /दिनांक.....

हस्ताक्षरकर्ता का नाम.....स्थान.....

स्थापना में पद.....

प्रारूप–2

श्रम कानूनों के अनुपालन की प्रास्थिति– स्व–प्रमाणन

1. उद्योग/कम्पनी/प्रतिष्ठान/इकाई का नाम – .....
2. उद्योग/कम्पनी/प्रतिष्ठान/इकाई का पता– .....
.....
3. उद्योग/कम्पनी/प्रतिष्ठान/इकाई के आक्यूपायर/निदेशक/पार्टनर्स के नाम व निवास के पते
.....
.....
प्रबन्धक/ मैनेजर का नाम व पता .....
.....

उद्योग/कम्पनी/प्रतिष्ठान/इकाई में स्व–प्रमाणन के दिनांक को नियोजित कर्मचारियों की संख्या –

श्रेणी	पुरुष	महिला
अकुशल	.....	.....
अर्द्धकुशल	.....	.....
कुशल	.....	.....

उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962

4. उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन संख्या .....
..... व दिनांक .....
5. कर्मचारियों को माह में कितने दिन का सवेतन अवकाश दिया जाता है .....
6. गत वर्ष सवेतन अवकाश उपभोग करने वाले कर्मचारियों की संख्या .....
7. साप्ताहिक अवकाश का दिन .....

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948

8. उद्योग/कम्पनी/प्रतिष्ठान/इकाई में नियोजित कर्मचारियों को श्रेणीवार, प्रतिमाह भुगतान किये जा रहे वेतन की दर –

श्रेणी	पुरुष	महिला
अकुशल	.....	.....
अर्द्धकुशल	.....	.....
कुशल	.....	.....

9. वेतन भुगतान की तिथि के पूर्व क्या वेतन पर्ची दी जा रही है – हाँ/ नहीं
(यदि हाँ तो प्रत्येक श्रेणी के 01–01 कर्मचारी की वेतन पर्ची की छायाप्रति संलग्न की जाए)
10. कर्मचारियों से प्रतिदिन कितने घण्टे कार्य लिया जाता है ? .....
11. यदि ओवरटाइम कार्य लिया जा रहा है, तो ओवरटाइम का भुगतान किस दर से किया जा रहा है? .....
.....

वेतन भुगतान अधिनियम 1936

12. कर्मचारियों के प्रतिमाह वेतन भुगतान की निर्धारित तिथि.....
.....
13. कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नकद किया जाता है अथवा एकाउण्ट पेई चेक/नेफ्ट द्वारा .....
.....

मातृत्व हित्तलाभ अधिनियम 1961 एवम् समान पारिश्रमिक अधिनियम–1976

14. (अ) गत 12 माह में कितनी महिला कर्मचारियों को मातृत्व हितलाभ की सुविधा प्रदान की गई है ? .....

(ब) क्या मातृत्व हितलाभ के योग्य महिला कर्मचारी को मातृत्व हितलाभ का भुगतान किया गया है, ... भुगतान की गई धनराशि .....

(स) क्या महिला कर्मचारियों को मात्त्व हितलाभ (संशोधन) अधिनियम–2017 के अंतर्गत हितलाभ प्रदान किया जा रहा है .....

(द) क्या प्रतिष्ठान में कार्यरत पुरूष एवम् महिला श्रमिकों को समान कार्य के लिए समान वेतनमान प्रदान किया जा रहा है .....

संविदा श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम 1970

15. उद्योग / कम्पनी / प्रतिष्ठान / इकाई में कार्यरत संविदा श्रमिकों / आउटसोर्सिंग एजेन्सी के कर्मचारियों की कुल संख्या .....पुरूष .....महिला.....

16. उद्योग / कम्पनी / प्रतिष्ठान / इकाई द्वारा संविदा श्रमिकों के नियोजन हेतु कराये गये पंजीयन की संख्या ..... एवं दिनांक .....

17. उद्योग / कम्पनी / प्रतिष्ठान / इकाई में कार्यरत संविदाकारों की संख्या .....
संविदाकारों के नाम .....
लाइसेंस संख्या .....एवं दिनांक .....

18. उद्योग / कम्पनी / प्रतिष्ठान / इकाई में कार्यरत संविदा कर्मचारियों का भुगतान मुख्य सेवायोजक के प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जा रहा है .....

सामाजिक सुरक्षा व अन्य हितलाभ

19. उद्योग / कम्पनी / प्रतिष्ठान / इकाई में कार्यरत कितने नियमित कर्मचारी / संविदा कर्मचारी "कर्मचारी भविष्य निधि" से आच्छादित हैं ..... पंजीयन संख्या–.....
दिनांक–.....

20. उद्योग / कम्पनी / प्रतिष्ठान / इकाई में कार्यरत नियगित कर्मचारी / संविदा कर्मचारियों के वेतन से कर्मचारी भविष्य निधि की कटौती कर जमा करायी जा रही है (हाँ / नहीं).....

21. उद्योग / कम्पनी / प्रतिष्ठान / इकाई के कितने नियमित कर्मचारी / संविदा कर्मचारी, "कर्मचारी राज्य बीमा योजना" से आच्छादित हैं .....

22. यदि नहीं तो दुर्घटना की स्थिति में उनकी मृत्यु / विकलांगता हेतु कोई सामूहिक बीमा पालिसी / दृर्घटना पालिसी / कर्मचारी प्रतिकर पालिसी ली गई है .....पंजीयन संख्या–.....
..... दिनांक–.....

प्रारूप - 3

वार्षिक रिटर्न्स

कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति पर अगले वर्ष 31 जनवरी तक सम्बन्धित अनुसूचित अधिनियम के तहत रीक्षक/प्राधिकारी को प्रस्तुत किये जाने के लिए -

1. प्रतिष्ठान का नाम, उसका पता, टेलीफोन नम्बर, फैक्स नम्बर, ई-मेल पता और स्थान .....
   .....
2. पंजीकृत प्रधान कार्यालय यदि कोई है तो उसका नाम, पता, टेलीफोन नम्बर, फैक्स नम्बर, ई-मेल पता और स्थान
   .....
3. स्थापना का नाम (दुकान, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, फैक्ट्री, होटल, रेस्त्रां आदि) :
4. कार्य की प्रकृति (निर्माण, व्यापार/सेवा आदि)
5. नियोक्ता का नाम व डाक का पता .....
6. मुख्य नियोक्ता का नाम व पता, यदि नियोक्ता एक ठेकेदार है.....
7. पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के लिए उत्तरदायी प्रबंधक का नाम .....
   (a) नियोक्ता द्वारा किये गये व्यापार, उद्योग या व्यवसाय का नाम .....
   (b) व्यापार, उद्योग या व्यवसाय शुरू होने की तिथि .....
8. नियोक्ता की संख्या, यदि सम्बन्धित विभाग द्वारा आवंटित है, जैसे
   ई0एस0आई0
   ई0पी0एफ0
   कल्याण निधि
   टी0आई0एन0/सी0आई0एन0 नं0
9. वर्ष के दौरान किसी भी दिवस में कार्यरत श्रमिकों की अधिकतम संख्या ..... जिसके लिए यह रिटर्न सम्बन्धित है -

वर्ग	कुशल	अर्धकुशल	अकुशल
पुरूष			
महिला			
कुल			

10. पुरूषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन का भुगतान किया जा रहा है अथवा नहीं
11. वर्ष के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
12. वर्ष के दौरान मानव दिवसों की कुल संख्या
13. साप्ताहिक बंदी
14. संघ का नाम
15. पंजीकृत यूनियन हाँ नहीं

16. वर्ष के दौरान कार्यरत कुल श्रमिकों की संख्या
    (a) छंटनी
    (b) इस्तीफा
    (c) सेवा समाप्ति
17. छंटनी मुआवजा एवं सेवा समाप्ति हितलाभ भुगतान (प्रत्येक श्रमिक के सम्बन्ध में पूर्ण एवं स्पष्ट सूचना)

क्र0	श्रमिक का नाम	सेवाकाल	मुआवजा(रूपये में)	सेवा समाप्ति हितलाभ(रूपये में)

18. वर्ष के दौरान हुई मानव दिवसों की हानि निम्न के परिप्रेक्ष्य में -

(a) हड़ताल
(b) तालाबन्दी
(c) गंभीर दुर्घटना
(d) सामान्य दुर्घटना

19. हड़ताल या तालाबन्दी का कारण

20. श्रमिकों को कुल देय मजदूरी (मजदूरी एवं ओवरटाईम अलग-अलग दिखाये जाएं)

क्र0	श्रमिक का नाम	कुल देय मजदूरी(रूपये में)	ओवरटाईम भुगतान(रूपये में)	कुल भुगतान(रूपये में)

21. वर्ष के दौरान हुई दुर्घटनाओं की संख्या एवं कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम-1923(1923 का नियम-8) के अंतर्गत भुगतान किया गया मुआवजा

श्रेणी	दुर्घटना का प्रकार	कारखाना निरीक्षक/ सेफ्टी आफीसर को सूचित किया गया	इम्प्लाईज स्टेट कारपोरेशन को सूचित किया गया	कर्मचारी क्षतिपूर्ति प्राधिकारी को सूचित किया गया	अन्य	मुआवजा भुगतान (रूपये में)
संघातक						
गैर-संघातक	स्थायी विकलांगता					
	अस्थायी विकलांगता					
कुल						

22. बोनस

(a) बोनस के लिए पात्र कार्मिक
(b) घोषित बोनस का प्रतिशत एवं कर्मचारियों की संख्या जिन्हें बोनस का भुगतान किया गया
(c) बोनस भुगतान हेतु देय धनराशि
(d) बोनस भुगतान की गयी वास्तविक धनराशि एवं भुगतान का दिनांक

23. निम्नलिखित की नियुक्ति, यदि हॉ तो (नाम एवं दिनांक)

(a) सुरक्षा अधिकारी
(b) हितकारी अधिकारी

24. राष्ट्रीय अवकाश के दिनों में कार्य करने वाले कार्मिकों की संख्या

स्वतंत्रता दिवस
गांधी जयन्ती
गणतन्त्र दिवस

25. विगत 03 वित्तीय वर्षों में अवैतनिक मजदूरी की धनराशि

26. ग्रेच्युटी

ग्रेच्यूटी हेतु पात्र कार्मिकों की संख्या	ग्रेच्युटी प्राप्त करने वाली कार्मिकों की संख्या	ग्रेच्युटी प्राप्त न करने वाले पात्र कार्मिकों की संख्या

मातृत्व हितलाभ अधिनियम-1961 (यथासंशोधित, 2017) के अंतर्गत प्राप्त क्लेमों की संख्या

मातृत्व हितलाभ अधिनियम-1961 के अंतर्गत प्राप्त क्लेमों की संख्या	मातृत्व हितलाभ अधिनियम-1961 के अंतर्गत निस्तारित क्लेमों की संख्या	मातृत्व हितलाभ अधिनियम-1961 के अंतर्गत अस्वीकृत किये गये क्लेमों की संख्या

28. (a) कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न(निरोध, निषेध व निवारण) अधिनियम-2013 के अंतर्गत समिति के गठन की तारीख व समिति के सदस्यों के नाम .....

(b) प्राप्त शिकायतों की संख्या .....

29. क्या प्रतिष्ठान में स्थायी आदेश लागू है ?

हाँ	नहीं	लागू नहीं

30. कारखाना अधिनियम एवं नियमावली के अंतर्गत निम्न कार्यवाही पूर्ण है –

वार्षिक उपकरण परीक्षण	त्रैमासिक अग्नि परीक्षण	अग्निशमन व्यवस्था	क्या श्रमिकों को खतरे के बारे में सूचित किया गया है

31.

क्र0	संविदाकार का नाम व पता	संविदा की अवधि		कार्य की प्रकृति	संविदाकार द्वारा नियोजित किये गये कार्मिकों की संख्या	कार्यदिवसों की संख्या	मानव दिवसों की संख्या
		कब से	कब तक				

32.

निम्नलिखित सुविधायें प्रदान की गयी हैं				
कैन्टीन	आरामगृह	पीने का पानी	शिशु गृह	प्राथमिक चिकित्सा

घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरे ज्ञान व विश्वास के अनुसार सही एवं सत्य हैं।

दिनांक :

नियोक्ता/निदेशक/ऑक्यूपायर के हस्ताक्षर

पदनाम.....

कंपनी की मुहर.....